रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

क्रमांक/परीक्षा/2021/ 83-A जबलपुर, दिनांक 06 अक्टूबर 2021

अधिसूचना

विश्वविद्यालय से संबंद्ध समस्त स्वशासी शासकीय एवं स्वशासी अशासकीय महाविद्यालयों को सूचित किया जाता है कि जिन महाविद्यालयों द्वारा छात्रों से उपाधि शुल्क प्राप्त कर विश्वविद्यालय में जमा नहीं किया है। वे सभी महाविद्यालय शीघ्र ही नियमानुसार उपाधि शुल्क विश्वविद्यालय में जमा करें, क्योंकि उपाधि शुल्क के अभाव में आपके महाविद्यालयों के छात्रों को नियमानुसार उपाधियां जारी करना संभव नहीं हो पा रहा है, तथा उपाधि अप्राप्त होने संबंधी प्रकरणों की छात्रों द्वारा शिकायतें सी.एम. हेल्पलाइन एवं अन्य के माध्यम से पहुंच रही हैं। अतः अनुरोध है कि उपरोक्त महाविद्यालय वर्ष 2020–21 तक के आपके महाविद्यालय के समस्त छात्रों का उपाधि शुल्क अनिवार्य रूप से शीघ्र विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करावें ताकि उपाधि संबंधी लबित प्रकरणों का निराकरण किया जा सके। जिन महाविद्यालयों के प्राचार्यों द्वारा विश्वविद्यालय में उपाधि शुल्क जमा नहीं कराया जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

आदेशानुसार

उपकुलसचिव (परीक्षा)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
जबलपुर

प्रतिलिपि सूचनार्थः–

1. अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा,जबलपुर।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय
जबलपुर